25 EX. - [illegible]

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 1973/भाद्र 19, 1895
No. 307] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 1973/BHADRA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 10th September 1973

S.O. 475(E).—Whereas the manufacturers of Ambassador car have submitted a claim to the Central Government for an increase in the price of the said car on account of the increased wages payable by them to their workers in pursuance of an agreement;

And whereas the Central Government has considered the claim submitted by the said manufacturers for increase in the price of the said car;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Third Amendment) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, in the entries relating to Ambassador car, for the figures "17,170", the figures "17,350", shall be substituted.

[No. 5(5)/73-AEI(I).]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1973

का० आ० 475 (अ).—यतः एम्बैसेडर कार के विनिर्माताओं ने, इस आधार पर कि अपने कर्मकारों के साथ किये गए एक करार के अनुसरण में उन्हें कर्मकारों को बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी देनी होगी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष यह दावा किया है कि उक्त मोटर कार की कीमत में वृद्धि की जाए ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त कार के विनिर्माताओं द्वारा उक्त कार की कीमत में वृद्धि के लिए प्रस्तुत किए गए दावे पर विचार कर लिया है ;

अतः अब, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 को अनुसूची 1 में एम्बैसेडर कार से सम्बन्धित प्रविष्टियों "में 17,170" अंकों के स्थान पर '17,350" अंक प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं० 5(5)/73—ए० ई० आई०—(1)]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973